



2026:AHC:56531

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - सी संख्या - 10364 वर्ष 2026**

मेसर्स गॉरसन्स हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: रोहन गुप्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 37**

**माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहन गुप्ता और प्रतिपक्षी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह तर्क दिया गया है कि 25.02.2026 को अतिरिक्त जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व), गौतम बुद्ध नगर ने भारतीय टिकट अधिनियम, 1899 की धारा 47-ए के तहत कार्यवाही में याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपर्याप्त टिकट शुल्क, जुर्माना और ब्याज लगाने का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने 12.03.2026 को वापसी याचिका दायर की, जो लंबित है।
3. यह याचिका परमादेश रिट की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसमें उक्त अतिरिक्त जिला अधिकारी को वापसी याचिका और उसमें दायर स्थगन याचिका पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने और वापसी याचिका पर निर्णय होने तक वसूली कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश देने की प्रार्थना की गई है।
4. यह तर्क दिया गया है कि उक्त प्रकरण की कार्यवाही एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई थी, जैसा कि पेपर बुक के पृष्ठ 49 पर उल्लेख किया गया है, और उसके बाद, याचिकाकर्ता को 23.09.2023 को एक सूचना भेजा गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता सूचना के अनुसार उपस्थित नहीं हुआ, प्रकरण का निर्णय कर दिया गया है।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



5. निवेदन है कि सूचना गलत पते पर भेजा गया था और याचिकाकर्ता के बचाव के गुण-दोषों पर विचार करते हुए, उक्त दलील के साथ-साथ अन्य दलीलों को ध्यान में रखते हुए, वापसी आवेदन दायर किया गया है। हालांकि, आदेश पारित होने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता के प्रकरण के अनुसार, तहसीलदार ने 11.03.2026 को वसूली के लिए याचिकाकर्ता से संपर्क किया। अतः यह तर्क दिया जाता है कि जब तक वापसी आवेदन का गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक कोई राशि वसूल नहीं की जा सकती।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता का आचरण उचित नहीं रहा है, जैसा कि चुनौती दिए गए आदेश में उल्लेख किया गया है, जिसमें 23.09.2023 को सूचना जारी करने के अलावा, 21.05.2025 को समाचार पत्र में प्रकाशन भी किया गया था। हालांकि, प्रकाशन के बावजूद, याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुआ और इसलिए, प्राधिकारी के पास प्रकरण का गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

7. वापसी आवेदन के संबंध में, यह निवेदन किया जाता है कि वैधानिक अपील दाखिल करने के बजाय, याचिकाकर्ता ने वापस बुलाना आवेदन दाखिल किया है, जो स्वीकार्य नहीं है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने के बाद, मैं पाता हूँ कि यदि टिकट कार्यवाही में विपक्षी पक्ष के अनुसार आदेश एकतरफा है, तो उसके पास दो विकल्प हैं: या तो अपील दायर करना या वापसी आवेदन दायर करना। अतः, दायर किया गया वापसी आवेदन स्वीकार्य माना जाता है, हालांकि, इसके गुण-दोष पर प्राधिकारी द्वारा अभिलेखीय सामग्री और प्रस्तुत दलीलों के आधार पर विचार किया जा सकता है।

9. वापसी आवेदन लंबित रहने तक वसूली कार्यवाही पर रोक लगाने की प्रार्थना के संबंध में, न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आदेश पारित होने की तिथि से एक माह भी नहीं बीता है और चूंकि वापसी आवेदन समय सीमा के भीतर दायर किया गया है, इसलिए प्रतिपक्षी को एक ओर वापसी आवेदन को लंबित रखने और दूसरी ओर याचिकाकर्ता से राशि वसूल करने की अनुमति देने का कोई ठोस आधार नहीं दिखता है, अन्यथा कानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

10. पूर्व चर्चा के मद्देनजर और वापसी आवेदन के गुण-दोष या याचिकाकर्ता के कथित अपर्याप्त टिकट शुल्क आदि के प्रकरण पर टिप्पणी किए बिना, इस याचिका का निस्तारण निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है:-

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



- (i) संबंधित अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी वापसी आवेदन पर विचार करेंगे और इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत होने की तिथि से **दो माह** की अवधि के भीतर संक्षिप्त तिथियां निर्धारित करके इसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेंगे।
- (ii) याचिकाकर्ता वापसी आवेदन में किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा, अन्यथा प्राधिकारी कार्यवाही न होने के कारण वापसी आवेदन को खारिज करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (iii) वापसी आवेदन पर निर्णय होने तक, टिकट प्रकरण संख्या 2239 वर्ष 2014 (कंप्यूटरीकृत प्रकरण संख्या डी20141127002239) में दिनांक 25.02.2026 को पारित आदेश के अनुसार आगे की कार्यवाही **स्थगित** रहेगी।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र)

19 मार्च, 2026

एकेशुक्ता/-